घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

धरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने की मंशा से घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया है। हम सभी ने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ पर किसी लड़की का जन्म होता था तो ऐसा माना जाता था कि लक्ष्मी ने घर में जन्म लिया है। वह लड़की जब बड़ी होती थी और वह दूसरे के घर में विवाहोपरान्त प्रवेश करती थी तो ससुराल वाले भी उसको लक्ष्मी का दर्जा दिया करते थे। कोई भी स्त्री चाहे वह किसी भी रूप में हो बेटी, बहन, बहू या माँ अपने को घर की चार दिवारी के अन्दर सुरक्षित महसूस करती थी। बाहर निकलने में उसको असुरक्षा की भावना रहती थी, परन्तु समय के चलते जैसे–जैसे स्त्री ने हर क्षेत्र में विकास किया है और आधुनिक हुई है वैसे ही हमारे समाज में बदलाव आने लगा है। वही स्त्री जो अपने को घर से बाहर असुरक्षित महसूस करती थी वही आज अपने ही घर में असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहने लगी है। ऐसा इसलिए होने लगा है क्योंकि जो लोग उसके साथ घर में घरेलू नातेदारी में रहते हैं, वह उसके प्रति हिंसात्मक होने लगे है। इस हिंसा को रोकने के लिए उक्त अधिनियम को पारित किया गया है।

घरेलू नातेदारी का जैसा कि उपरोक्त प्रस्तर में उल्लेख किया गया है। उससे संदर्भ है कि वह रिश्ता जो घर में रहने वाले एक व्यक्ति का दूसरे के साथ होता है। घरेलू हिंसा से यहाँ पर अभिप्राय चार प्रकार की हिंसा से है।

1. शारीरिक हिंसा –

मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दॉत से काटना, लात मारना, मुक्का मारना, धक्का देना, धकेलना किसी अन्य रीति की पीड़ा से क्षति पहुँचाना।

2. लैंगिक हिंसा –

बलात् लैंगिक मैथून, अश्लील साहित्य व कोई अन्य अश्लील तस्वीरों या सामग्री को देखने के लिए मजबूर करना, बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार ।

3. मौखिक और भावनात्मक हिंसा :–

अपमान करना, गालियाँ देना, चरित्र और आचरण इत्यादि पर दोषारोपण करना, पुरूष संतान न होने के लिए अपमान करना, दहेज इत्यादि न लाने पर अपमान करना। आपको या अभिरक्षा में किसी बालक को विद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य

शैक्षणिक संस्था में जाने से रोकना, नौकरी करने से निवारित करना, नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना। जब विवाह नही करना चाहती है तो विवाह करने के लिए मजबूर करना। पसन्द के व्यक्ति से विवाह करने के लिए रोकना, आत्महत्या करने की धमकी देना, कोई अन्य मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार।

4. आर्थिक हिंसा :–

आपके या बच्चों के अनुरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना, आपके या बच्चों के लिए खाना, कपड़े और दवाईयॉ इत्यादि उपलब्ध न कराना, रोजगार चलाने से रोकना, रोजगार करने में विध्न डालना, आपकी वेतन पारिश्रमिक इत्यादि से आय को ले लेना, जिस घर में रह रहे हों उससे बाहर निकलने को मजबूर करना। घर के किसी भाग में जाने या उपयोग करने से रोकना, साधारण घरेलू उपयोग के कपड़ों, वस्तुओं या चीजों के इस्तेमाल से अनुज्ञात न करना।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा जिसके साथ एक ही घर में आप निवास कर रही है। आपके विरूद्ध उपरोक्त में से किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा की जाती है तो आप उस व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नलिखित में से कोई भी आदेश प्राप्त कर सकती है। संरक्षण आदेश, आर्थिक आदेश, प्रतिपूर्ति आदेश, अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, अंतरिम आदेश या एक पक्षीय आदेश।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा हर जिले में संरक्षण अधिकारियों की जरूरत के हिसाब से की जाती है। उक्त संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा के बाबत आख्या तैयार करता है एवं मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करता है। सेवा प्रदाता के बावत भी उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है। मजिस्ट्रेट की यह कोशिश रहती है कि घरेलू हिंसा के बावत प्रार्थना पत्र का निस्तारण 60 दिन के अन्दर कर दें। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की अपील कोर्ट ऑफ सेशन में की जायेगी।

अपने आसपास हो रही घरेलू
हिंसा को रोकने में सहयोगी बनें।